

पत्रावली पेश हुई। वकील जार्ज
 एवं परामार सरकार उपस्थित।
 तहसीलदार निम्बाहेरा द्वारा प्रस्तुत किया
 रिपोर्ट में प्रभावित संशोधन अनुदान
 प्राप्ति का प्रमाण स्वीकार किया
 जाता है। निर्णय प्रथम तः कम्युनिकेशन
 कराया गया। पत्रावली फौजल मुनाद द्वारा
 अन्तर्गत कर दी गई।

137
22

नम्बर व तारीख
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुए